आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
31/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 24/2015** **नागेन्द्र कुंवर एवं अन्य बनाम् संतोष महली** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची के द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–23 R15/2012-13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपर समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–16.09.2013 को आदेश पारित किया गया था, जबकि इस न्यायालय में 02 वर्षों के पश्चात् दिनांक–31.08.2015 को पुनरीक्षण दायर किया गया। इस विलम्ब के लिये 2013 में अचानक से आवेदक क्रमांक–01 की तबियत खराब होने एवं आवेदक क्रमांक–03 के बीमार पड़ने का हवाला दिया गया है। यद्यपि किसी अस्पताल आदि से इस संबंध में कोई प्रमाण–पत्र नहीं है। प्रश्नगत् वाद को दिनांक–05.02.2018 को अंगीकृत किया गया था। पुनः आवेदक क्रमांक–01 की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया। इसके पश्चात् आवेदक की तरफ से मात्र दिनांक–02.02.2021 को हाजिरी दी गयी। अपना पक्ष रखने हेतु आवेदकों को दिनांक–10.01.2022, 14.02.2022, 17.02.2022, 21.03.2022 तथा 28.03.2022 को लगातार मौका दिये गये किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये। आवेदक की न्यायालय से अनुपस्थिति के कारण उपलब्ध कागजातों के आधार पर इस वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–10/2009–10 में उभयपक्षों को सुनते हुये आदिवासी रैयत के पक्ष में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदकों के अपील पर विस्तृत सुनवाई करते हुये अपील आवेदन को खारिज किया गया। अपीलार्थियों का मुख्य दावा है कि प्रतिवादी संतोष महली खतियानी रैयत के पुत्र नहीं है, अपितु दत्तक पुत्र है। अतः उन्हें उक्त भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि दत्तक पुत्र को अपने पिता के सम्पति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि प्रश्नगत् भूमि को वर्ष–1940 में सादा बिक्री पट्टा से प्राप्त	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

किया गया एवं 1965 से ही उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित है। किन्तु अपने दावे के समर्थन में अपीलार्थियों के द्वारा निम्न न्यायालयों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण दोनों न्यायालय में आदिवासी रैयत के पक्ष में आदेश पारित किये गये। इस न्यायालय में आवेदक द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं को उल्लेखित किया गया है। आवेदक के द्वारा यह पुनरीक्षण दो वर्ष के विलम्ब से दायर किया गया था तथा वे दो वर्षों से न्यायालय में अनुपस्थित भी है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

3/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

3/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 17:23:05 +05:30
Location: 192.168.1.40